उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालयः कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर (बिहार)

स्वयं सहायता समूह

का

ऋण सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र

(ऋण आवेदन सह प्रक्रिया नोट एवं दस्तावेज पुस्तिका)

शाखा का नाम		
स्वयं सहायता समूह का नाम		मोबाइल न०
a) सचिव का नाम		मोबाइल न०
b) अध्यक्ष का नाम		मोबाइल न०
c) कोषाध्यक्ष का नाम		
पता		
खाता संख्या		

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

स्वयं सहायता समूह का बचत-खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र

स्वयं सहायता समूहों को बचत खाता खोलने हेतु संस्था द्वारा निर्गत अनुरोध-पत्र

सेवा में,

दिनांक:.....

शाखा प्रबन्धक

.....बैंक

.....शाखा

विषय: स्वयं सहायता समूह का बैंक में बचत खाता खोलने हेतु प्रस्ताव

महाशय,

स्वंय सहायता समूह की जानकारी बचत खाता खोलने हेतु दी जा रही है।

क्र.सं.	स्वयं सहायता समूह का नाम एवं पता	सदस्यों की संख्या	समूह के पदाधिकारी	हस्ताक्षर
			अध्यक्ष नाम एवं पता सचिव नाम एवं पता कोषाध्यक्ष नाम एवं पता	

हमारे द्वारा समूह के प्राधिकृत अधिकारियों का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि, आप अपने स्तर से समूह का बचत-खाता यथाशीघ्र खोलें।

भवदीय

धन्यवाद सहित,

(.....)

पदनाम :-

संस्था :-

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

स्वयं सहायता समूह का बचत-खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

दिनांकः .....

शाखा प्रबन्धक

.....बैंक

.....शाखा

केवल कार्यालय उपयोग हेतु	
खाता सं०.	
ग्राहक कूट/आई डी	

.....स्वयं सहायता समूह, ...के हम तीनों प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं। समूह द्वारा दिनांक .....के प्रस्ताव में आपके शाखा में बचत-खाता खोलने का निर्णय लिया गया है।

हम आपसे उक्त समूह का बचत-खाता खोलने का अनुरोध करते हैं:-

स्वयं सहायता समूह का नाम एवं पता	समूह गठन की तिथि

हम संलग्न करते हैं:-

१. नवीनतम नियमावली की प्रमाणित प्रति

२. संबंधित शाखा में बचत-खाता खोलने हेतु समूह का निर्णय तथा खाता में लेन-देन (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से कोई दो) से संबंधित स्वयं सहायता समूह का निर्णय

३. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का फोटो (तीन प्रति में)

४. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का के० वाई० सी०

५. Sponsoring agency (Jeevika/ WDC इत्यादि) द्वारा Sponsorship letter जिसमें उनके द्वारा समूह के प्राधिकृत अधिकारियों का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK MUZAFFARPUR

हम बचत-खाता खोलने एवं संचालित करने के नियम समझ गये हैं, हम इस का पालन करेंगे। बैंक के द्वारा समय-समय पर बचत-खाता के संचालन हेतु संशोधित नियमों का पालन करेंगे। घोषणा करते हैं कि हम भारतवासी हैं।

प्राधिकृत पदाधिकारियों का फोटो एवं हस्ताक्षर

फोटो	फोटो	फोटो
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
नाम:	नाम:	नाम: .....
.....	.....	.....
जन्म तिथि.....	जन्म तिथि.....	जन्म तिथि.....
पिता/पति का नाम.....	पिता/पति का नाम.....	पिता/पति का नाम.....
पता	पता	पता .....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर .....

के० वाई० सी० (पहचान एवं पते के प्रमाण हेतु) निम्न में से कोई एक:-

मतदाता पहचान पत्र (यदि फोटो है तो पहचान एवं पते का प्रमाण दोनो इसी के आधार पर) / रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देश

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt. MUZAFFARPUR

समूह के बाकी सभी सदस्यों का नाम एवं पता नीचे दिया जा रहा है:-

सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	पता

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK
HEAD OFFICE
Credit Deptt
MUZAFFARPUR

कृप्या नियमानुसार हमें चेकबुक दें।

हम घोषणा करते हैं कि समय-समय पर स्वयं सहायता समूह के विधि-विधान में या प्राधिकृत पदाधिकारियों या अन्य सदस्यों में यदि कोई बदलाव होता है तो उपरोक्त की सूचना बैंक शाखा को दी जायेगी। हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सही है तथा किसी भी तरह की गलत जानकारी की जिम्मेदारी हमारी होगी।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षर मुहर सहित

कार्यालय के उपयोगार्थ

उपरोक्त प्रपत्रों को पूर्णरूपेण जाँच लिया गया है तथा स्वयं सहायता समूह का बचत-खाता खोला जा सकता है।

पर्यवेक्षक

खाता खोलने की अनुमति दी जाती है

प्रबंधक / वरिष्ठ प्रबंधक

दिनांक

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज हेतु आवेदन पत्र

बैंक का नाम.....

शाखा का नाम .....

स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी		
1.	स्वयं सहायता समूह का नाम	
2.	स्वयं सहायता समूह का पता	
3.	बैंक बचत खाता संख्या	
4.	समूह गठन की तिथि	
5.	समूह सदस्यों की संख्या	
6.	समूह गठन करने वाली संस्था का नाम	

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Dept. MUZAFFARPUR

स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय समावेशन हेतु संस्था द्वारा निर्गत अनुरोध-पत्र

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

दिनांक: .....

.....बैंक

.....शाखा

विषय : स्वयं सहायता समूह को बैंक से सम्बद्ध करने हेतु प्रस्तावों का समर्पण

महाशय,

निम्नलिखित स्वयं सहायता समूह के ऋण प्रस्ताव को स्वयं सहायता समूह-बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है।

क्र.सं.	स्वयं सहायता समूह का नाम एवं पता	सदस्यों की संख्या	समूह के पदाधिकारी नाम एवं पता	हस्ताक्षर
			अध्यक्ष	
			सचिव	
			कोषाध्यक्ष	

हमारे द्वारा समूह के प्राधिकृत अधिकारियों का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किया जाता है।

आपसे अनुरोध है कि, आप अपने स्तर से इसका निष्पादन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद सहित,

भवदीय

(.....)

पदनाम:-

संस्था:-

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt MUZAFFARPUR

स्वयं सहायता समूहों को आंकने के लिए जाँच सूची

(प्रथम मूल्यांकन हेतु)

क्रम	जाँच पड़ताल के घटक	अति उत्तम	उत्तम	असंतोषजनक
1.	समूह का आकार	13-20	10-12	10 से कम
2.	सदस्यों का स्तर	केवल बहुत ही गरीब परिवार के	2-3 ऐसे जो उतने गरीब नहीं	ज्यादातर सदस्य गरीब परिवार के नहीं
3.	मीटिंगों की संख्या	महीने के मीटिंग की संख्या हमेशा SHG के नियमावली के आधार पर, अगर नियमावली में जिक्र न हो तो महीने में चार मीटिंग	महीने के मीटिंग की संख्या ज्यादातर SHG के नियमावली के आधार पर, अगर नियमावली में जिक्र न हो तो महीने में दो मीटिंग	महीने के मीटिंग की संख्या कभी भी SHG के नियमावली के आधार पर नहीं, अगर नियमावली में जिक्र न हो तो महीने में दो से कम मीटिंग
4.	सदस्यों की उपस्थिति	80 प्रतिशत से ज्यादा	60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक	60 प्रतिशत से कम
5.	सदस्यों का मीटिंग मे सहभाग	भारी प्रतिशत (80 प्रतिशत)	मध्यम प्रतिशत (50-80 प्रतिशत)	सामान्य से कम प्रतिशत (50 प्रतिशत से कम)
6.	समूह में बचत की राशि को जमा करना	महीने में चार बार (75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा)	महीने में तीन बार (50-75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा)	महीने में तीन बार से कम
7.	बचत की राशि	सर्व सहमति से निर्धारित की गयी नियत राशि	सदस्य की क्षमता के अनुसार बदलती बचत राशि	कभी-कभी बचत बन्द हो जाती है
8.	समूह के सदस्यों में वितरित कर्ज पर ब्याज की दर	मासिक अधिकतम 2 रूपये सैकड़ा	मासिक 2 या 3 रूपये सैकड़ा	मासिक 3 रूपये सैकड़ा से अधिक
9.	समूह में इकट्ठी की गई बचत राशि का उपयोग	संपूर्णत: सदस्यों को ऋण देने के लिए	आंशिक रूप से सदस्यों को ऋण देने के लिये	बचत की बहुत ही कम मात्रा सदस्यों को ऋण देने के लिये उपयोग की गई

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK MUZAFFARPUR HEAD OFFICE

क्रम	जाँच पड़ताल के घटक	अति उत्तम	उत्तम	असंतोषजनक
10.	सदस्यों में वितरित ऋण की वसूली	80 प्रतिशत से उपर	80 से 70 प्रतिशत	70 प्रतिशत से कम
11.	लेखा किताबों का रखरखाव	सारे रजिस्टर नियमित रूप में रखे जाते हैं तथा उनमें प्रविष्टियाँ समय पर की जाती हैं।	सिर्फ जरूरी रजिस्टर (जैसे कार्यवृत, बचत, ऋण खाता आदि)ही नियमित रूप से रखे जाते हैं और उनमें प्रविष्टियाँ समय पर की जाती है।	रजिस्टरों का रखरखाव अनियमित है, समय पर अद्यतनीकरण का अभाव
12.	समूह की कुल कारपस राशि	रू. 1200 से ऊपर	रू. 1000 से 1200 तक	रू. 1000 से कम
13.	समूह के नियमों एवं शर्तों के बारे में सदस्यों का ज्ञान	सभी सदस्यों को नियमों एवं शर्तों की अच्छी जानकारी	ज्यादातर सदस्यों को अच्छी जानकारी और शेष को कुछ-कुछ	ज्यादातर सदस्यों को नियमों एवं शर्तों की ठीक तरह से जानकारी नहीं

* 10 से 13 घटकों में अति उत्तम होने पर ऋण दिया जायेगा।
* 8 से 9 घटकों में अति उत्तम होने पर 2 से 3 माह बाद पुनः ग्रेडिंग की प्रक्रिया की जायेगी और इस बीच समूह आवश्यक सुधार का सकती है।
* 8 से कम घटकों में उत्तम या असंतोषजनक होने पर सुधार की आवश्यकता होगी तथा 4 माह होने के बाद समूह पुनः ऋण हेतु आवेदन करेगा।

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK
HEAD OFFICE
Credit Deptt.
MUZAFFARPUR

ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाला

आवेदन-पत्र

* स्वयं सहायता समूह का नाम और पता :-

* गठन / स्थापना की तारीख :-
* समूह का गठन किसी योजना के अंतर्गत (योजना का नाम) या समूह के सदस्यों के प्रयत्न/प्रयास पर हुआ :-
* समूह के सदस्यों की संख्या :-
* समूह को सहायता देने वाले (सरकार प्रायोजित संस्थान/ एस.एच.पी.आई/ एन.जी.ओ. का नाम (यदि कोई हो) :-

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

.....बैंक

.....शाखा

दिनांक: .....

ऋण हेतु आवेदन-पत्र

प्रिय महोदय,

1. हम, उपर्युक्त स्वयं सहायता समूह के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपने सदस्यों को ऋण को प्रदान करने हेतु कुल रू0 .....(रूपये.....) मात्र के ऋण (कैश क्रेडिट लिमिट/ टर्म लोन) हेतु आवेदन कर रहे हैं। हमारे समूह का वित्तीय विवरण दिनांक .....की स्थिति के अनुसार दिया गया है।

   जो सही नहीं हो उसे काट दें

2. हम बैंक द्वारा यथानिर्धारित चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण राशि की चुकौती करने के लिये सहमत हैं।

3. समूह के सभी सदस्यों द्वारा निष्पादित परस्पर करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह की ओर से हमें उधार लेने का प्राधिकार प्राप्त है।

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt. MUZAFFARPUR

हम एतद् द्वारा बैंक को यह प्राधिकृत करते हैं कि वह जैसा उचित समझे अपने बैंक में हमारे ऋण खाते से संबंधित कोई विवरण या सूचना नाबार्ड सहित किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य एजेन्सी को प्रकट कर सकते हैं। यदि इसके साथ दिए गए समूह से संबंधित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है और / अथवा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने से स्वयं सहायता समूह को अयोग्य करार दे सकता है और / अथवा इस आवेदन के तहत स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण या उसके किसी भाग को वापस मांग सकता है।

वित्तीय विवरण (दिनांक .....की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	विवरण	राशि (रूपये)
1.	समूह की बचत खाता संख्या	
2.	समूह के बचत खाते में शेष राशि	
3.	प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा राशि	
4.	सदस्यों को कुल बचत में से वितरित ऋण राशि	
5.	सदस्यों को दिए ऋण पर ब्याज राशि	
6.	समूह की बचत पर बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि	
7.	समूह को प्राप्त अनुदान, परिक्रमी निधि, सीड मनी, इत्यादि की राशि	

नाम, पता तथा फोटो समूह के सभी सदस्यों का नीचे दिया जा रहा है:

सदस्य का नाम	सदस्य का फोटो	फोटो अभिप्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर	पिता/पति का नाम तथा पता

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Dept. MUZAFFARPUR

सदस्य का नाम	सदस्य का फोटो	फोटो अभिप्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर	पिता/पति का नाम तथा पता

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK
HEAD OFFICE
Credit Dept.
MUZAFFARPUR

सदस्य का नाम	सदस्य का फोटो	फोटो अभिप्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर	पिता/पति का नाम तथा पता

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK
HEAD OFFICE
Credit Deptt.
MUZAFFARPUR

हम यह भी सूचित करते हैं कि समूह की बचत खाता संख्या .....है तथा बचत खाता खोलने की तारीख .....से आज की तारीख में समूह के सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है/ निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है:

समूह के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि में परिवर्तन : (इनका के.वाई.सी. के तहत प्रलेख संलग्न)

अन्य सदस्यों में परिवर्तन:-

हम एतत्द्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर दिए सभी विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

क्रमांक	नाम	पद	मोबाइल संख्या	हस्ताक्षर
1				
2				
3				

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt. MUZAFFARPUR

बैंक उपयोग हेतु

स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिमिट देने हेतु अनुमोदन प्रस्ताव

बचत खाता संख्या .....

1. हमारे द्वारा स्वयं सहायता समूह का भ्रमण किया गया है और सदस्यों से बात की है समूह अच्छा / औसत / सामान्य है।
2. ग्रेडिग सीट में स्वयं सहायता समूह द्वारा 13 में से .....अंक प्राप्त किये गये हैं जो ऋण देने योग्य / अयोग्य है।
3. अन्य टिप्पणी:

हस्ताक्षर

क्षेत्र भ्रमण अधिकारी

कैश क्रेडिट लिमिट / टर्म लोन * लिमिट रू० .....शब्दों में रू० .....
.....स्वीकृत की जाती है।

* जो सही नहीं हो उसे काट दें

(हस्ताक्षर)

शाखा प्रबंधक

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Dept. MUZAFFARPUR

स्वयं सहायता समूह की नियमावली / आचार संहिता

(Rules and regulation of an SHG)

(यह प्रारूप एक सुझाव के रूप में है तथा SHG में इसी तरह का अथवा संशोधित नियमावली / आचार संहिता निर्धारित करें एवं एक प्रति बैंक को उपलब्ध करायें)

1. समूह का नाम.....स्वयं सहायता समूह
2. पता:

   ग्राम: पोस्ट:

   ब्लॉक: थाना: जिला:
3. **समूह के उद्देश्य:**
   * इस समूह के गठन के उद्देश्य अपने सदस्यों में मितव्ययिता, आपसी सहयोग, एवं अपने सदस्यों में आर्थिक समाजिक विकास की भावना उत्पन्न करते हुए उनके द्वारा जमा किये गये धन को आपसी निर्णय से, आकस्मिक, उपभोग एवं उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना है।
   * समूह की संगठित शक्ति से समाज सेवा का कार्य करना है।
   * समूह की गतिविधियों को न्यूनतम छः माह तक भली भाँति संचालित करते हुए आवश्यक होने पर बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करना तथा आगे भी इसी प्रकार समूह की गतिविधियों को संचालित करते रहना।
   * समूह का मिलने वाला अनुदान, प्रशिक्षण अन्य सहायता से सदस्यों को सक्षम व सफल स्व-रोजगारी बनाना।
   * योजना के अन्तर्गत समूह गठित किया गया है तथा योजना अनुसार चयनित क्रिया-कलाप में दक्षता प्राप्त करना।
4. **कार्य-क्षेत्र:**
   * समूह द्वारा बचत एवं ऋण जैसी प्रमुख गतिविधियों को केवल अपने सदस्यों के मध्य ही संचालित किया जायेगा।
   * समूह के बाहर किसी भी व्यक्ति या संस्था को समूह द्वारा कोई ऋण प्रदान नहीं किया जायेगा।
   * सदस्य का निवास/ कार्य/ व्यवसाय का क्षेत्र वह स्थान जिसे 'समूह' चिन्हित करे।
5. **समूह का सदस्य बनने हेतु योग्यता:**
   * उनकी आयु 18 से कम और 60 वर्ष से अधिक न हो यद्यपि समूह के निर्णयानुरूप अधिकतम आयु सीमा व्यक्ति विशेष के लिए बदली जा सकती है।
   * प्रस्तावित सदस्य कम से कम इतनी क्षमता रखता हो जो कि उसे समूह द्वारा निर्धारित साप्ताहिक/ पाक्षिक/ मासिक बचत की राशि समूह के पास नियमित अन्तराल पर जमा करने में सक्षम बना सके।
   * ग्राम.....का स्थायी निवासी।
   * असमाजिक/ आपराधिक गतिविधियों में संलग्न न हो।
   * समूह के सभी सदस्य पुरूष / महिला / पुरूष एवं महिला हो सकते हैं।
   * एक ही परिवार के दो सदस्य न हो।

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK
HEAD OFFICE
Credit Dept
MUZAFFARPUR

* किसी नशे का नियमित रूप से आदि न हो। यदि है भी तब उसे त्यागने का वचन ले।
* वह व्यक्ति जो किसी दूसरे स्वयं सहायता समूह का सदस्य न हो।

6. **सदस्यों की संख्या:**

* समूह में सदस्यों की संख्या न्यूनतम .....से लेकर अधिकतम.....सदस्य तक रहेगी।

7. **सदस्य की अयोग्यता/ समूह से निष्कासन की स्थिति :** यदि कोई साधारण सदस्य / अथवा पदाधिकारी समूह की नियमावली एवं अनुशासन का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तो वह समूह के सामूहिक निर्णय के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में समूह की सदस्यता के अयोग्य घोषित किये जाने का पात्र होगा।

* जब कोई सदस्य अपनी निर्धारित मासिक बचत समूह के पास जमा करना बन्द कर देता है।
* जब कोई सदस्य लगातार .....बैठकों में भाग नहीं लेता है।
* जब कोई सदस्य लिए गए ऋण को अदा करने में लगातार अथवा जानबूझकर चूक करता है।
* जब कोई सदस्य समूह की निधियों का गबन करता है या करना चाहता है।
* जब कोई सदस्य समूह के नियमों व शर्तों का पालन नहीं करता है।
* जब कोई सदस्य समूह के हितों एवं गरिमा के विरूद्ध कार्य करता है।

ऐसी स्थिति में आम सहमति के आधार पर उसे समूह से अलग भी किया जा सकता है तथा यदि उचित समझा जाए तब सर्वसम्मति से उसके स्थान पर किसी नवीन एवं उपयुक्त व्यक्ति को भी सदस्य बनाया जा सकता है।

8. **सदस्यता शुल्क एवं बचत का स्वरूप:**

* समूह की सदस्यता ग्रहण करते समय प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रथम रूपये.....की धनराशि सदस्यता शुल्क के रूप में, (केवल एक बार) समूह के पास जमा करेगा जो कि किसी भी स्थिति में उसको वापस नहीं की जाएगी (जीविका समूहों में यह लागू नहीं है)।
* प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से रू० .....मात्र (शब्दों में रूपये.....मात्र) की बचत राशि प्रत्येक माह की साप्ताहिक/ पाक्षिक / मासिक आयोजित होने वाली समूह की बैठक में समूह के पास जमा करेगा।
* समूह के निर्णय अनुसार, बचत की राशि में संशोधन / बदलाव किया जा सकता है।

9. **समूह के पदाधिकारी, उनका चयन व कार्य :**

* समूह की खुली बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति में आम सहमति से निम्नलिखित तीन संचालकों / पदाधिकारियों का मनोनयन प्रथम बैठक में ही किया जाएगा। पदाधिकारियों का कार्यकाल .....वर्ष के लिए होगा, किन्तु कोई भी पदाधिकारी समूह के बहुमत से इस अवधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है परन्तु नए पदाधिकारी का चयन पुनः आम सहमति से होगा। समूह पदाधिकारी निष्पक्ष एवं ईमानदार होना चाहिए ताकि वह समूह की गतिविधियों का कुशलता के साथ संचालन कर सकें।

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt.

(क) **अध्यक्ष :** सामान्यत: समूह के सर्वाधिक निष्पक्ष एवं निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति को अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। जिसके प्रमुख कर्त्तव्य निम्नलिखित रहेंगे:-

* समूह की बैठको को आयोजित करना।
* समूह के सदस्यों में परस्पर एकता एवं स्नेह बनाए रखते हुए समूह की बैठकों में प्रभावी एवं निष्पक्ष निर्णय लेने में समूह की सहायता करना।
* सदस्यों को पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ समूह के निर्णयारूप ऋण वितरित करना।
* अन्य कार्य जो समूह उचित समझे।

(ख) **सचिव :** समूह में से बोलने में कुशल एवं समझदार व्यक्ति को समूह का सचिव मनोनीत किया जाएगा। सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य रहेंगे।

* समूह की बैठकों की कार्यवाही लिखना (जीविका समूहों में यह कार्य सी0 एम0 अर्थात सामुदायिक संगठक के द्वारा किया जाता है)।
* अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समूह की बैठक की अध्यक्षता करना तथा बैठकों का आयोजन/ संचालन करना।
* बैंक से सम्बधित कार्य व बचर्त एवं ऋण से संबंधित रिकॉर्ड रखने में कोषाध्यक्ष की सहायता करना।
* सदस्य पास बुक में प्रविष्टि करना।
* अन्य कार्य जो समूह उचित समझे।

(ग) **कोषाध्यक्ष :** समूह का कोषाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा जिसका व्यक्तितव एवं वित्तीय चरित्र सर्वाधिक प्रामाणिक एवं पारदर्शी हो। कोषाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्त्तव्य रहेंगे :-

* समूह द्वारा बैठक के उपरांत शेष राशि को बैंक में जमा करना यदि राशि की आवश्यकता सदस्यों को अगली, बैठक में ना हो।
* समूह के धन की सुरक्षा रखना।
* समूह की बचत, ऋण तथा बैंक से संबधित लेन-देन व ब्याज का हिसाब किताब सामुदायिक संगठक के माध्यम से संम्पूर्ण जानकारी रखना।
* ऋण राशि समूह के सदस्यों को सभी सदस्यों की उपस्थिति में नगद देने तथा लिए गए ऋण की सदस्यों से वापसी प्राप्त करने में समूह को सहयोग करना।
* समूह के बैंक जमा / ऋण खाते के संचालन में योगदान देना।
* समूह की एक माह में हुई बचत (साप्ताहिक बैठकों के दौरान) का .....गुना धन समूह के सदस्यों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगद के रूप में समूह द्वारा बैठक में राशि रखने हेतु अधिकृत सदस्य के पास रखना।
* अन्य कार्य जो समूह उचित समझे।

10. **समूह के नाम की मुहर :**

समूह के नाम की एक रबड़ की मोहर समूह के सामूहिक खर्चे से बनवाई जायेगी तथा इसका उपयोग समूह के बैंक खाते में जमा / निकासी हेतु सम्बधित फार्मों तथा अन्य प्रपत्रों पर यथास्थान आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

समूह की बैंक में बचत खाता खुलवाना:

* समूह का एक बचत बैंक खाता समूह के नाम से निकटवर्ती .....बैंक की शाखा .....में खुलवाया जायेगा।
* यह खाता समूह के तीनों पदाधिकारियों 1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हो कर संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ खोला जायेगा।
* समूह सदस्यता / पदाधिकारी परिवर्तन की सूचना बैंक को अविलम्ब प्रस्ताव के माध्यम से दी जाएगी अन्यथा स्थिति तक बैंक पर कोई परिवर्तन प्रभावी/ मान्य नहीं होगा।

12. **बचत खाता / परिक्रमी निधि / साख सीमा/ सावधि ऋण खाते का परिचालन:**

* समूह के सभी खाते ' समूह के पूरे नाम' के साथ समूह के तीनों पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से खाता खोला जायेगा। इस खाते में सम्पूर्ण लेन-देन अर्थात खाते का परिचालन समूह के तीनो पदाधिकारियों में से किन्हीं भी दो पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
* समूह के खाते के अन्तर्गत प्रत्येक निकासी के समय कितनी धनराशि किस व्यक्ति के लिये निकाली जा रही है, इस आशय का प्रस्ताव बैंक शाखा (5000 रू से ऊपर की धनराशि की निकासी पर) को दिखाया जायेगा।
* समूह के खाते से लेन-देन करते समय प्रत्येक जमा आहरण पर्ची पर समूह की मुहर अंकित करके यथा स्थान सम्बधित पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
* समूह के नियमों के अनुरूप किए गये सभी आहरण समूह के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होंगे चाहे सदस्य विशेष बैठक में उपस्थित रहा हो अथवा नहीं।
* **प्राधिकृत अधिकारियों** के लिखित अनुरोध पर ही समूह के बचत बैंक खाता परिचालन रोका जा सकेगा।

13. **समूह की बैठक एवं आन्तरिक ऋण व्यवस्था:**

* बैठक का प्रारंभ सामूहिक प्रार्थना तथा समापन किसी 'चेतना गीत' से होगा।
* सामान्यत: समूह की साप्ताहिक/ पाक्षिक/ मासिक बैठक आयोजित की जायेगी जिनमें 75 प्रतिशत सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। समूह के बैठक में किसी प्रकार की निर्णय किये जाने के समय कम से कम कुल सदस्यों में 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।
* यदि कोई सदस्य बिना किसी असाधारण परिस्थिति या कारण से समूह की किसी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उस पर सामूहिक निर्णय के आधार पर अनुपस्थिति दण्ड (जुर्माना) लगाया जायेगा जो कि समूह के खाते में जमा हो जायेगा। यह दण्ड रूपये .....प्रति बैठक-अनुपस्थिति होगा।
* समूह की सामान्य साप्ताहिक / पाक्षिक/ मासिक बैठक में बचत की राशि प्रत्येक सदस्य द्वारा समूह में जमा की जायेगी तथा जिसकी प्रविष्टि तुरंत सी0 एम0 के द्वारा सदस्यों की व्यक्तिगत पास बुकों में कर दी जायेगी। पास बुक में निर्धारित स्थान पर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। बचत की सामूहिक राशि यदि सदस्यों को जरूरत न हो तो बैंक में जमा की जा सकती है। इस बैठक में अन्य विषयों के अतिरिक्त प्रमुख रूप से सदस्यों की ऋण सम्बंधी आवश्यकताओं, आय वृद्धि के कार्यक्रमों तथा सामाजिक विकास के कार्यक्रमों पर विचार करके निर्णय लिये जायेंगे।

* समूह की आगामी बैठक किस सदस्य के यहाँ होगी, इसका निर्णय समूह की बैठक में ही आम सहमति के आधार पर किया जायेगा ।
* समूह की बैठक समूह के प्रत्येक सदस्य के निवास पर या उसके सुझाए गए स्थान पर बारी-बारी से होगी।
* समूह की बैठक में सभी सदस्यों को बोलने का समान अधिकार एवं स्वतंत्रता होगी। समस्त निर्णय सामूहिक रूप से एवं आम सहमति के आधार पर ही लिये जाएंगे।
* किसी भी सदस्य द्वारा निर्धारित अवधि अर्थात समूह की बैठक में बचत की राशि समूह में न जमा कर पाने की स्थिति में उसे रूपये ..... विलम्ब दण्ड अदा करना पड़ेगा।

14. यदि कोई सदस्य निरंतर ..... माह तक (..... साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बैठकों में) आपनी साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बचत की धनराशि समूह के पास जमा नहीं कर पाता है तो उसकी समूह से सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

15. किसी सदस्य द्वारा सदस्यता छोड़ने की मांग करने पर उसके द्वारा जमा की गई बचत राशि उस पर आनुपातिक अर्जित ब्याज, उसके द्वारा लिये गये ऋण अथवा ब्याज आदि के पूर्ण समायोजन के पश्चात् लौटायी जा सकती है अथवा नहीं इस सम्बन्धा में कोई भी निर्णय समूह की बैठक में आम सहमति से लिया जायेगा।

16. समूह को बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बचत की राशि पूर्ववत् जमा होना जारी रहेगा।

17. समूह में किसी भी प्रकार का मतभेद या समस्या उत्पन्न होने पर उसे निपटने के लिये खुलकर एवं गहराई के साथ समूह की बैठक में ही चर्चा होगी तथा आपस में बैठकर मुद्दे को समझकर निष्पक्ष रूप से सर्वसम्मति से निपटारा किया जायेगा।

18. समूह द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों को विधिवत रूप से अद्यतन रखा जायेगा।

* नियमावली एवं कार्यवाही पुस्तिका
* समूह के लिये लेनेदेन सम्बन्धी रख रखाव पुस्तिका
* सदस्यों की व्यक्तिगत पास बुक
* बचत एवं ऋण पुस्तिका
* बैंक द्वारा प्रदत्त समूह के बचत खाते एवं सी.सी. लिमिटे (रिवालिविंग फण्ड) खाते की पास बुक/खाता विवरण

19. बैंक के ऋण की प्राप्ति : जब समूह कम से कम 6 माह (छः माह) तक सफलतापूर्वक बचत एवं आन्तरिक ऋण वितरण व उनकी वसूली जैसी गतिविधियों का संचालन अच्छी प्रकार से करेगा तब आवश्यकता होने पर समूह के पदाधिकारियों को समूह की बैठक में, आम सहमति के आधार पर बैंक व योजना के नियमानुसार समूह के नाम ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु समूह की ओर से अधिकृत किया जायेगा। बैंक से लिये जाने वाले ऋण की वापसी हेतु समूह का प्रत्येक सदस्य सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा ।

20. यदि कोई सदस्य समूह गठन के बाद या ना जानकारी के कारण पूर्व से ही किसी संस्था का बकायादार है तब उसे उस ऋण की पूर्ण अदायगी हो जाने तक समूह को बैंक से प्राप्त ऋण राशि मेंसे कोई ऋण प्रदान नहीं किया जायेगा । किन्तु इस सदस्य को समूह के कोष (कारपस) से ऋण दिया जा सकता है।

21. समूह की बैठक में प्रत्येक सदस्य अपनी आकस्मिक उपभोग अथवा उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त कर सकेगा जिस पर निर्णय आम सहमति के आधार पर लिया जायेगा । किसी सदस्य को अधिकतम ऋण उसकी कुल बचत का ..... गुना ही प्रदान किया जाएगा ।

22. जिन सदस्यों ने समूह से धन उधार लिया है वह उस ऋण की चुकौती निर्धारित भुगतान अवधि के अन्तर्गत ही तथा समूह की बैठकों में ही जमा करके पासबुक में यथास्थान प्रविष्टि करायेंगे। सदस्यों को दिये गए ऋण पर समूह ..... प्रतिशत मासिक की दर से सदस्य से ब्याज वसूल करेगा। किस्त अदायगी में चूक पर सदस्य .....प्रतिशत प्रतिमाह (चूक की अवधि पर) दण्ड वसूल किया जायेगा।

23. यदि कोई सदस्य स्वयं अपनी इच्छा से समूह की सदस्यता को त्यागना चाहता है तो उसे इस हेतु एक माह पूर्व समूह की बैठक में लिखित आवेदन देना होगा । इस प्रकार यदि सदस्यता से त्याग हो रहा है तो उस सदस्य पर समूह को कोई ऋण एवं / अन्य देय बकाया नहीं होना चाहिए । यदि कोई धनराशि बकाया है तो उसका हिसाब सदस्यता छोड़ने से पूर्व साफ करना होगा।

24. समूह के किसी भी नियम को बदलने का हक केवल समूह का होगा। नियम परिवर्तन सर्व सम्मति से आम बैठक में, जिसमें कुल सदस्यों की कम से कम दो तिहाई उपस्थिति हो, मान्य होगा । किसी भी नियम के परिवर्तन पर नया नियम व सम्बन्धित प्रस्ताव की प्रतिलिपि बैंक शाखा को दी जायेगी ।

25. ऋण स्वीकृति/वितरण के उपरान्त यदि सदस्यता में परिवर्तन अथवा पदाधिकारियों में परिवर्तन होता है तब भी समूह द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित अभिलेख, वैध माने जाएंगे।

26. समूह की वार्षिक बैठक :- प्रति वर्ष माह अप्रैल की प्रथम बैठक समूह की वार्षिक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक होगी। निम्नलिखित बिन्दुओं पर विमर्श एवं निर्णय समूह की इस वार्षिक बैठक में किया जायेगा-

नये सदस्यों का समूह में प्रवेश।

* सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों को उनकी बचत राशि निकालने की अनुमति देना तथा उनकी सदस्यता समाप्त करना।
* बचत राशि में वृद्धि की जाए या नहीं इस विषय पर निर्णय लेना ।
* अन्य किसी विशेष नियम में परिवर्तन।
* समूह के पदाधिकारियों का वर्तमान नवीन वर्ष हेतु परिवर्तन/नवीन मनोनयन जो कि आगामी 31 मार्च तक वैध होगा ।
* इसी बैठक में प्रत्येक वर्ष, गत वर्ष का 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का लाभ हानि विवरण तथा वार्षिक तुलन पत्र समूह के पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप तैयार करके अप्रैल माह की प्रथम बैठक में समूह के सभी सदस्यों के मध्य प्रस्तुत किया जाएगा तथा लाभ राशि का क्या उपयोग करना है इसपर भी आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा।
* समूह की इस सकल लाभ राशि पर समूह के प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होगा । इस लाभ राशि का उपयोग समूह की बैठक में आम सहमति के आधार पर होगा ।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष) (सचिव) (कोषाध्यक्ष)

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE

व्यवस्था-पत्र

(ऋणी द्वारा इस व्यवस्था पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर किया जाएगा)

श्री/श्रीमती .....(अध्यक्ष)

श्री/श्रीमती .....(सचिव)

श्री/श्रीमती .....(कोषाध्यक्ष)

.....स्वंय सहायता समूह

दिनांक

प्रिय महोदय / महोदया,

<u>स्वंय सहायता समूह : ऋण की संस्वीकृति</u>

आपके आवेदन दिनांक .....जिसमें आपने .....(यहां आवेदित ऋण के प्रकार जैसे सीसी/ मीयादी ऋण आदि का उल्लेख करें) की संस्वीकृति हेतु अनुरोध किया था, के संदर्भ में हमें रू. .....(रूपये .....मात्र) की ऋण सीमा ..... (यहां ऋण के प्रकार का उल्लेख करें) निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन संस्वीकृत करते हुए हर्ष हो रहा है -

1. किसी भी आहरित रकम पर .....% .....अधिक/ कम अर्थात .....% न्यूनतम वार्षिक ब्याज जो .....,.....अंतराल पर लागू होगा (इसमें समय-समय पर संशोधन होगा).
2. स्वयं सहायता समूह के तीन अधिकृत व्यक्तियों- अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के द्वारा खाता परिचालित होगा।
3. स्वयं सहायता समूह की कमी / यथा -उल्लेखित कारणों से ऋण-सीमा का संवितरण यदि नहीं होता है तो संस्वीकृति तिथि से 6 माह के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा।
4. **चुकौती :**

   (क) नकद साख सीमा ऋण में ब्याज का नियमित भुगतान करना आवश्यक है। यदि 3 माह तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो खाता गैरनिष्पादक हो जाएगा और आहरण सीमा शून्य हो जाएगी और स्वंय सहायता समूह को बैंक की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt. MUZAFFARPUR

(ख) मीयादी ऋण के मामले में दिनांक .....से प्रभावी रू. .....(रूपये .....) के समान मासिक किस्तों या रू. .....(रूपये .....) के मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक किस्त में देय होगा।

5. ऋण के संवितरण से पूर्व आपको निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे-

(क) समूह की बचत की संपुष्टि हेतु समूह के बचत बैंक का पासबुक।

(ख) समूह का माइक्रो साख योजना (मीयादी ऋण के मामले में)

(ग) बैंक को ऋण प्रस्ताव देने के लिए समूह के सदस्यों द्वारा अनुमोदित संकल्प की प्रति एवं प्रलेखों को निष्पादन करने के लिए प्रतिनिधियों को अधिकृत करने हेतु समूह के सदस्यों द्वारा अनुमोदित संकल्प की प्रति।

(घ) [illegible] महायता समूह को वित्तीयन हेतु अपेक्षित प्रलेखों का निष्पादन ।

6. [illegible] किसी [illegible] ऋण को चुकाने की अनुमति है।

7. इस [illegible] आहरण इस उद्देश्य के लिए निर्धारित आहरण-प्रपत्र के माध्यम से होंगे ।

8. समूह की किसी घटना से बैंक को यदि महसूस होता है कि यह बैंक हित में नहीं है तो बैंक को ऋण वापस लेने का अधिकार है ।

9. उपर्युक्त नियम एवं शर्तों से सहमत होने पर समूह के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अभिस्वीकृत कर इसकी दूसरी प्रति हमें वापस की जाए ।

भवदीय,

शाखा प्रबंधक

.....शाखा

हम उपर्युक्त नियम एवं शर्तों से सहमत हैं।

.....बैंक	अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
	दिनांक	दिनांक	दिनांक

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Dept. MUZAFFARPUR

स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के समस्त शाखाओं के साथ जुड़ाव

(बचत खाता एवं क्रेडिट लिंकेज) हेतु आवश्यक बातें

बचत खाता हेतु-

स्वयं सहायता समूह से निम्नलिखित कागजात प्राप्त कर बैंक शाखा द्वारा समूह के नाम से बचत खाता खोला जाएगा-

1. बचत खाता खोलने का साफ-साफ सुस्पष्ट शब्दों में भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. समूह के नियमावली एवं बैठक के कार्यवाही की छायाप्रति जिसमें अधयक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया है।
3. समूह में बचत खाता खोलने संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति जिसमें बैंक एवं शाखा का स्पष्ट जिक्र किया गया हो तथा खाता संचालन हेतु निर्णय दर्ज हो (खाता संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में किन्ही दो के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।)
4. समूह के तीनो प्राधिकृत पदाधिकारियों के पहचान एवं पता का सबूत (KYC)। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के-अनुसार यदि पहचान एवं पते के लिए दियेगये सबूत में वही पता दर्ज है जो समूह का खाता खोलने के आवेदन पत्र में दिया गया हे तो अलग से पता एवं पहचान हेतु दूसरे कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं (जिरर्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र- RBI/2012-13/322 दिनांक-10 Dec, 2012)।
5. तीनों पदाधिकारियों के पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ (तीन-तीन)।

बचत खात खोलने पर बैंक समूह के नाम से एक पासबुक निर्गत करेगा तथा बचत खाता खोलने हेतु कोई न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता नहीं है।

क्रेडिट लिंकेज हेतु-

1. छह माह पुराने (समूह गठन दिनांक से) या छह माह पूर्व गठित समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया जा सकता हे बशर्ते समूह का कार्यकलाप सही हो तथा मूल्यांकन जांच सूची में समूह को न्यूनतम अंक आता हो।

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Dept. MUZAFFARPUR

2. प्रथम क्रेडिट लिंकेज कम से कम 50 हजार या कारपस का 4 गुणा, इसमें जो भी ज्यादा है वही राशि देय होगी (SLBC के द्वारा पारित एवं RBI/2012-13/559 दिनांक : 27 जून, 2013 द्वारा निर्देशित)

3. क्रेडिट लिंकेज हेतु संपूर्ण भरा हुआ प्रपत्र जिसमें समूह के सभी सदस्यों का फोटोग्राफ अभिप्रमाणित हो तथा समूह की वित्तीय स्थिति की जानकारी भी दर्ज हो, वह समूह या समूह संचालित करने वाली संस्थओं के द्वारा जमा किया जायेगा।

4. क्रेडिट लिंकेज के समय पुन: KYC दस्तावेज समूह सदस्यों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों का नहीं लिया जायेगा, चूँकि दस्तावेज पूर्व में बचत खाता खोलने के समय प्राप्त कर लिया गया है (रिजर्व बैंक निर्गत परिपत्र RBI/2012-13/461 दिनांक- 01 अप्रैल 2013 - For RRBs एवं RBI/2012-13/459 दिनांक- 28 मार्च, 2013 -For Commercial Banks।

5. ऋण स्वीकृति के समय स्वीकृत ऋण राशि, ऋण का किश्त, ब्याजदर, ऋण अवधि इत्यादि बैंक द्वारा समूह को लिखित में सूचित किया जायेगा। (Letter of Arrangement के माध्यम से)

6. यदि ऋण कैश क्रेडिट (C.C. limit) के रूप में ही दिया जा रहा है तो स्वीकृत ऋण राशि बचत खाता में अंतरण नहीं होगी बल्कि कैश क्रेडिट खाते से ही रकम की निकासी होगी।

7. समूह के सदस्य किन उद्देश्य के लिए ऋण लेंगे यह समूह द्वारा ही तय किया जायेगा।

8. यदि समूह के कुछ सदस्य बैंक के चूककर्त्ता है तो भी समूह को ऋण दिया जायेगा लेकिन चूककर्त्ता सदस्य तब तक इस बैंक ऋण का उपयोग नहीं कर पायेंगे, जब तक बैंक का बकाया अदा नहीं कर देते है (इस संबंध में उक्त स्वयं सहायता समूह द्वारा सम्बद्ध बैंक को वचन पत्र देना होगा कि चूककर्त्ता सदस्य तब तक इस बैंक ऋण का उपयोग नहीं कर पायेंगे, जब तक बैंक का बकाया अदा नहीं कर देते हैं, साथ ही उक्त सदस्य द्वारा बैंक का बकाया अदा करने पर भी बैंक को सूचित करेंगे)

9. सभी सदस्यों का दस्तावेज पर दस्तखत शाखा प्रबंधक या शाखा के नामित अधिकारी के समक्ष कराया जायेगा।

10. ऋण राशि की निकासी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर द्वारा ही किया जायेगा।

11. स्वयं सहायता समूहों को द्वितीय लिंकेज समूह कारपस का 10 गुणा या 1.0 लाख रूपये में से जो भी ज्यादा है, वही ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा (SLBC के द्वारा पारित दिनांक 18 सितम्बर 2013 एवं RBI/2012-13/559 दिनांक: 27 जून 2013 द्वारा निर्देशित)।

12. 10 लाख रूपये तक के लोन में किसी तरह के collateral security की आवश्यकता नहीं है (रिजर्व बैंक निर्गत परिपत्र RBI/2012-13/559 दिनांक : 27 जून 2013)

13. स्वयं सहायता समूहों के लोन दस्तावेज में स्टाम्प ड्युटी राज्य सरकार द्वारा निर्देशानुसार ली जाएगी।

<u>अन्य निर्देश-</u>

1. समूह का बचत खाता फार्म प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर बचत खाता आवश्यक रूप से खोल दिया जायेगा। बचत खाता खोलने के कम में सभी सदस्यों का बैंक आना आवश्यक नहीं है।

2. समूह/प्रायोजित संस्थाओं द्वारा प्राप्त संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के आधार पर समूह का क्रेडिट लिंकेज समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए एक माह के अंदर किया जायेगा।

3. समूह के बचत खाता एवं क्रेडिट लिंकेज हेतु सेवा क्षेत्र अवधारणा लागू नहीं है।

BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt.

स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करते समय बैंकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला करारनामा
(करार की शर्तों का पत्र)

यह करारनामा सन् .....के .....माह .....दिन को.....में मेसर्स .....(स्व. स.स. का नाम) लोगों/ व्यक्तियों का एक गैर-पंजीकृत समूह, जिसका कार्यकाल .....में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि
श्री / श्रीमती .....(नाम) .....(पदनाम)
श्री / श्रीमती .....(नाम) .....(पदनाम) और
श्री / श्रीमती .....(नाम) .....(पदनाम) ने किया, जो स्व. स.स. के सभी सदस्यों द्वारा पूर्णरूपेण प्राधिकृत हैं (इस प्रकार के प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है और यह इस करार का एक भाग है) जिसे इसमें आगे 'ऋणकर्त्ता' कहा गया है, उसके विषय या विषयवस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ और उसमें गैर-पंजीकृत समूह के सदस्य उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस, प्रशासक और समनुदेशित शामिल हैं, एक पक्ष और **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976** के अन्तर्गत स्थापित **उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक** एक कार्पोरेट निकाय, जिसका **प्रधान कार्यालय कमलबाग चौक, मुजफ्फरपुर** है और साथ-ही- साथ जिसकी एक शाखा .....में है, और जिसे आगे बैंक कहा गया है, उसके विषय या विषय-वस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना ना हो, का अर्थ और उसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित हैं दूसरे पक्ष के द्वारा और इसके बीच .....(स्थान में) 201.....के माह .....दिन यह करार किया गया । यथा ऋणकर्त्ता लोगों का एक गैर-पंजीकृत संस्था है, जो अपने सदस्यों के समाजिक, आर्थिक स्थितियों को विकसित करने और सुधारने की दृष्टि से स्वंय सहायता समूह के रूप में एक-दूसरे को परस्पर सहायता देने के लिए सहमत हुए है। यथा स्वयं सहायता समूह के रूप में बनाने पर ऋण लेने के लिए विधिवत प्राधिकृत उक्त दिनांक ..... के संकल्प (प्रतिनिधि संलग्न) के अनुशरण में ऋण लेने के लिए विधिवत प्राधिकृत उक्त,
श्री / श्रीमती .....(नाम) .....(पदनाम)
श्री / श्रीमती .....(नाम) .....(पदनाम) और
श्री / श्रीमती .....(नाम) .....(पदनाम)
द्वारा किये गये आवेदन के अनुसार बैंक से अनुरोध किया है कि, वे .....मात्र) तक की सीमा तक ऋण सुविधा प्रदान करें जिसमें से वे अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करेंगे।

और यथा, बैंक और ऋणकर्त्ता को कुछ शर्तों पर ऋण प्रदान करने / ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

और यथा, बैंक ऋणकर्त्ता शर्तों को लिपिबद्ध करने के इच्छुक हैं।

अतः अब वह करार निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है :

1. बैंक रू. .....(रूपये .....मात्र) तक मियादी ऋण / मांग ऋण / नकद ऋण (बेजमानती) सीमा के रूप में ऋण लेने के लिए सहमत है और बैंक अपने वही-खाते में ऋणकर्त्ता ऋण के नाम से दिनांक .....को .....खाता (खाता का प्रकार) खाता सं. .....

2. यदि नगद ऋण सुविधा का उपयोग किया जाता है तो ऋणकर्त्ता संतोषप्रद ढंग से और सीमा के अधीन नगद ऋण खाते का परिचालन करेगा और ऋणकर्त्ता ब्याज सहित खाते में बकाये देयता और समय-समय पर नाम किये गये अन्य प्रभार की चुकौती मांग किये जाने पर बिना किसी आपत्ति के करेगा।

3. यदि लिया गया ऋण मांग ऋण है, मांग पर ऋण वापस मांगने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तो ऋणकर्त्ता संस्वीकृती की शर्तों में निर्धारित अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण और अन्य प्रकारों को चुकौती करने का वचन देता है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Dept. MUZAFFARPUR

4. यदि ऋणकर्ता द्वारा उपयोग की गई सुविधा मियादी ऋण है तो उसकी चुकौती इसमें नीचे दी गई चुकौती अनुसूची में उल्लिखित ढंग से की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऋणकर्ता इस प्रकार के ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

5. इसके दोनों पक्षों और उनके बीच यह स्पष्ट समझौता हुआ है कि यदि ऋणकर्ता ऋण सुविधा की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए करने में असफल रहता है जिस प्रयोजन के लिए बैंक ऋणकर्ता को यह सुविधा उपलब्ध कराया है तो ऋणकर्ता अन्य कानूनी कारवाई करने के बैंक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मांग पर ब्याज के साथ बिना किसी प्रकार की अपील के तत्काल चुकौती करेगा।

6. ऋणकर्ता ऋण खाते में दैनिक शेष पर परिकलित किये जाने वाले और उसमें मासिक/तिमाही आधार पर नाम किये जाने वाले ऋणों पर या बैंक जिस तरह निर्णय करे ब्याज का भुगतान करेगा।

7. ऋणकर्ता अपने सदस्यों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ऋण सुविधा की राशि का उपयोग करेगा।

8. ऋणकर्ता उपयोग किये गये ऋण की राशि चुकौती साथ ही इस प्रकार के ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

9. बैंक के नियमों के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा बैंक को देय ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ मांग पर ऋण की चुकौती करने के लिए बाध्य होगा।

मैं/ हम वचन देता हूँ / देते हैं कि:-

10. (1) बैंक द्वारा प्रकट की गई उपर्युक्त सूचना का ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि० और इस निमित अधिकृत कोई अन्य अभिकरण जिस रूप में उचित समझे उपयोग संसाधित कर सकती है।

(2) ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि० और इस निमित अधिकृत कोई अन्य अभिकरण इन संसाधित सूचना और आंकड़े अथवा उस द्वारा निर्मित कोई उत्पाद इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बैंक / वित्तीय संस्थानों और अन्य गारंटरों अथवा पंजीकृत उपयोगकर्ता की प्रतिफल हेतु प्रस्तुत कर सकती है।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त वर्णित दिये गये वचनों के अतिरिक्त ऋणी सहमत है कि उचित ब्याज सहित बैंक को देय कोई बकाया राशि बिहार - उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914, बिहार - उड़ीसा लोक माँग अधिनियम के 1914 के VI (तथा संशोधित बिहार लोक मांग वसूली अध्यादेश 1973 (द्वितीय संशोधन) के नियमों के अन्तर्गत वसूली योग्य होगा और जमानतदार बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम के अंतर्गत बकाये की वसूली हेतु नीलामी प्रकिया कार्यवाही में नीलाम वाद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किसी निवेदन/दलील हेतु प्रतिबंधित होंगे।

चुकौती अनुसूची

इसके दोनों पक्षों ने साक्ष्य स्वरूप में इसके ऊपर लिखित दिनांक .....माह ..... वर्ष .....को हस्ताक्षर किये।

स्वयं सहायता समूह के लिए :-

	प्राधिकृत प्रतिनिधि	हस्ताक्षर
1	अध्यक्ष	
2	सचिव	
3	कोषाध्यक्ष	

बैंक के लिए :-

पदनाम	हस्ताक्षर

सहायता समूह संख्या .....

नाम .....

(सामान्य मुख्तारनामा के रूप में स्टाम्प किया गया)

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु परस्पर करारनामा

निर्देश 1. मूल करारनामा दो प्रतियों में तैयार होगी।

2. मूल प्रति पर आवश्यक इम्बोस्ड एडहेसिव स्टाम्प लगायें जो शाखा अभिलेख के लिए होगा तथा दूसरी प्रति को स्वयं सहायता समूह को आवश्यक जानकारी हेतु दिया जाएगा।

यह करारनामा सन्.....के.....माह.....दिन को

क्रमांक	नाम-श्री/श्रीमती/कुमारी	उम्र	पुत्र/पत्नी/पुत्री	आवसीय पता
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

जो ..... समूह के सदस्य है तथा जिन्हे एतद् पश्चात् सामूहिक रूप में ..... स्वयं सहायता समूह के सदस्य कहा गया है कि बीच संपादित किया गया। स्वयं सहायता समूह के सदस्य कथन में जबतक प्रसंग या तात्पर्य के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत न हो उक्त स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य उसके संबंधित विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल है। अत: सहायता समूह के सभी सदस्य ..... राज्य के ..... जिला के .. .. गाँव के निवासी है और एक दूसरे से परिचित है। अत: उपर उल्लेखित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने स्वेच्छा से मिलकर एतद्पश्चात उल्लेखित शर्तों के अनुसार आपसी हितों के लिए बचत, ऋण और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। अत: अब यह करारनामा इस प्रकार साक्ष्यांकित किया जाता है।

1. स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य रु० ..... (रूपये .....) मात्र की राशि अथवा समूह द्वारा जो राशि निश्चित की गई हो, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर समूह के प्राधिकृत सदस्य के पास जमा करेगा।

2. हर सदस्य स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए प्रयत्न करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो स्वयं सहायता समूह के व्यावसायिक हितो के विरूद्ध हो

3. स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्तावित किये गये ..... (बैंक) से सभी प्रकार के ऋणों के लिए उसके सभी सदस्य संयुक्त रूप और पृथक-पृथक/व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. स्वयं सहायता समूह द्वारा अर्जित की गई सभी परिसंपत्तियाँ समूह के सभी सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में रहेगी और सामान्यत: किसी ऐसे सदस्य की अभिरक्षा में रहेगी जिसे समूह द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। ये परिसम्पत्तियाँ ..... स्थित कारोबार के स्थल पर रखी जाएगी और उस स्थान को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

5. स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने

श्री/श्रमती/कुमारी ..... को ..... रूप में

श्री/श्रमती/कुमारी ..... को ..... रूप में

श्री/श्रमती/कुमारी ..... को ..... रूप में

(कोई भी पदनाम रखा जाए) चुना है एवं नियुक्त किया है स्वयं सहायता समूह की दिन प्रति दिन गतिविधियों की व्यवस्था व संचालन करेंगे और उससे संबंधित सभी प्रकार के मामलों में उसकी ओर से तथा उसके नाम से कार्य करेंगे। तथापि प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है और उसी प्रकार नये प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।

6. स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य एतद् द्वारा ऐसे सभी कार्यों और विलेखों का अनुसमर्थन और अनुपालन करने लिए सहमत है जो प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त गतिविधियों के हितों की रक्षा के लिए करते है।

7. प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक कार्यों के संबंध में निर्णय लेंगे और प्रत्येक प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक मामलों की देखभाल करने में विशेषकर निम्नलिखित गतिविधियों के निष्पादन में सक्रिय रूप से भाग लेगा। प्राधिकृत स्वयं सहायता समूह की ओर से बैंक से ऋण की राशि प्राप्त करें, उस राशि को समूह के बचत खाते में जमा करें और समूह के निर्णयों के अनुसार उसमें से सदस्यों को ऋण प्रदान करें तथा ऋण के किस्तों की वसूली की राशि को बैंक के पास स्वयं सहायता समूह की ऋण खाता में जमा करें

8. स्वयं सहायता समूह के सदस्य एतद् द्वारा प्रतिनिधियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करते है मियादी जमा और अन्य खाता खोलना और उसे निम्नलिखित प्राधिकृत प्रतिनिधियों में से किन्ही दो के हस्ताक्षर से संचालन करना

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

(2) उपर्युक्त प्रतिनिधि द्वारा ..... (बैंक) को स्वयं सहायता समूह की ओर से ऋण हेतु आवेदन करना और इस प्रयोजन हेतु समूह की ओर से ऋण हेतु आवेदन करना और इस प्रयोजन हेतु समूह की ओर से यथावश्यक करार प्रलेख संपादित करना।

(3) स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए बचतों, उन्हें प्रदान किए गये ऋणों उनसे प्राप्त वसूलियों के संबंध में उचित एवं व्यवस्थित खाता-बही तैयार रखना या रखवाना। प्रति वर्ष सम्पूर्ण लेखा को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(4) स्वयं सहायता समूह को देय सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करना और समूह की ओर से अपेक्षित रसीदें या पावतियाँ जारी करना।

(5) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ओर से कोई विविध कार्यवाही शुरू करना या प्रतिवाद करना तथा सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करना और इस प्रयोजना हेतु किसी अधिवक्ता, वकील या अभिकर्ता को लगाना यह उसे विमुक्त करना तथा इससे संबंधित सभी प्रकार के विविध व्ययों को वहन करना।

9. स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के दिवंगत हो जाने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी सुविधाओं का हकदार होगा तथा इस करारनामा के अंतर्गत मृतक सदस्य के सभी प्रतिबद्धिताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा।

10. करार किया जाता है कि वर्तमान सदस्यों की सहमति के बिना स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में किसी भी नये व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है।

11. सभी सदस्यों का यह सतत् प्रयास होगा कि आपसी सहयोग प्रेम एवं भाईचारे के द्वारा समूह को मजबूती प्रदान करें तथा विघटित नहीं होने दे। फिर भी विघटन की स्थिति में

(1) प्राधिकृत प्रतिनिधयों द्वारा विघटन की सूचना तत्काल ..... (बैंक) को दी जायेगी एवं

(2) समूह की परिसम्पत्तियों एवं अन्य आस्तियों से सर्वप्रथम बैंक के सभी देयताओं की आदायगी की जायेगी इसके उपरान्त ही

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Chaitil Chowk MUZAFFARPUR

उपर्युक्त में साक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के पूर्वोक्त सदस्यों में सन् ..... के .....
माह के ..... दिनों को .....
स्थान पर अपने-अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान दर्ज किए।

क्रमांक	स्वयं सहायता समूह सदस्य का नाम	हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

साक्षी:
1.
2.

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Dept. MUZAFFARPUR

D.P. Note

D.P. N. Joint & Several :

Place : .....

Rs. .....

Date ..... 20 .....

ON DEMAND, We jointly ad severally Promise to pay UTTAR BIHAR GRAMIN BANK, or order the sum of Rupees ..... together with interest on such sum from this date at the rate of ..... percent over Bench Mark Prime lending rate of the bank with minimum ..... percent per annum with half-yearly/quarterly/monthly rests for value received.

Revenue Stamp

LETTER OF WAIVER

परित्याग पत्र

प्रबंधक

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

शाखा .....

महोदय,

मेरे/हमारे द्वारा आपके पक्ष में ता० ..... को निष्पादित ..... स्व० को मेरे/हमारे प्रोनोटो के संदर्भ मे मैं/हम अभिलेखबद्ध करता हूँ/करते है कि मैं / हम इसके द्वारा, कानून अपेक्षित/मुझे/हमें उक्त प्रोनोटो को भुगतान के लिए पेश किये जाने में होने वाली किसी भी चूक से लाभ उठाने संबंधी मेरे/हमारे अधिकार/अधिकारों का इसके द्वारा परित्याग करता हूँ/करते है।

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt. MUZAFFARPUR

भवदीय

LETTER OF CONTINUITY

निरन्तरता -पत्र

सेवा में,

प्रबंधक,

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

शाखा .....

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

मैं/हम इसके साथ अपने/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित रु० ..... (रूपये .....) का एक मांग वचन पत्र संलग्न कर रहा हूँ / रहे हैं जो आपके किसी ओभर ड्राफ्ट की, जो फिलहाल मेरे/हमारे नाम बकाया है, अदायगी के लिए तथा रू० ..... (रूपये .....) तक के किसी भी ओभर ड्राफ्ट की, जो मैं/हम इसके बाद प्राप्त करूँ/करें की अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में दिया जाता है तथा उक्त वचन पत्र अन्तिम शेष या ओभर-ड्राफ्ट पर आधारित अदत्त राशि की अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में होगा तथा मैं/हम ओभर ड्राफ्ट खाते में समय-समय पर किये गये भुगतानों द्वारा ओभर ड्राफ्ट समय-समय पर कम हो जाने या समाप्त हो जाने के बावजूद या यह होते हुए भी कि उक्त लेखे की शेष रकम जमा-पक्ष में हो, वचन पत्र (प्रोनोट) के अनुसार दायी बना रहूँगा/रहेंगे।

I

We beg to enclose On Demand Pro Note for Rs. .....

(Rupees ..... signed by me/us which is given to us as security for the repayment of any overdraft which is at present. outstanding in my/our name and also for the repayment of any overdraft to the extent of Rs. .... (Rupees .....) Which I/We may avail of hereafter and the said Pro. Note is to be a security to you for the repayment. of the ultimate balance or sum remaining unpaid on the overdraft and I am/We are to remain liable on the Pro Note not with standing the fact that by payments made in to the A/c of the overdraft from time to time the over-draft may from time to time be reduced or extinguished or even that the balance of the said account may be at credit.

स्थान/Place

तारीख/ Date

भवदीय/Yours faithfully

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE MUZAFFARPUR

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

जाँच प्रतिवेदन

1. शाखा का नाम ..... दिनांक .....
2. आवेदक का नाम ..... उम्र .....
3. पिता का नाम ..... आवेदक की शिक्षा .....
   ग्राम ..... पोस्ट .....
   पंचायत ..... थाना .....
   आवेदक का पेशा ..... जाति/समूह .....
   विवाहित/अविवाहित ..... संतान, पुत्र ..... पुत्री .....
4. आवेदक का वंश वृक्ष (दादा तक) :-
   .....
   .....
5. आवेदक की वार्षिक आय :- पेशा से ..... कृषि से ..... कुल .....
6. योजना जिसके अंतर्गत ऋण लेना चाहते हैं
7. पहचान संख्या (जहाँ लागू हो) ..... वर्ष .....
8. यदि उपक्रम पहले से चालू है तो विनियोजित राशि ..... स्थिति .....
9. आवेदक का कार्य संबंधी अनुभव .....
10. आवेदित ऋण राशि ..... मार्जिन राशि ..... अनुदान .....
11. व्यापार स्थल का विवरण .....
12. आवेदक का वर्तमान में चल संपति ..... अचल संपति .....
    (बैंक का खाता / Fixe Deposite / N.S.C. इत्यादि)
13. आवेदक के घर से शाखा की दूरी .....
14. आवेदक के व्यवसाय स्थल से शाखा की दूरी .....
15. आवेदक शाखा के सर्विस एरिया का है या नहीं .....
16. आवेदक पूर्व में किसी वित्तीय संस्थान से सहायता पाया है या नहीं (यदि हाँ तो ऋण तथा अनुदान का विवरण दें।)
    .....
17. प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज आदि की विवरणी .....
    प्रतिभूति ..... प्रतिभूति का बाजार मूल्य .....
18. प्रस्तावित गारन्टरों का नाम व पूरा पता :-
    (i) .....
    (ii) .....

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Dept. MUZAFFARPUR

19. गारन्टरों की आर्थिक हैसियत

20. आवेदन यदि गृह ऋण हेतु है तो :-

गृह निर्माण का प्लाट/खसरा संख्या :- रकबा :-

प्रस्तावित निर्माणस्थल की भूमि का प्रकार (खतियानी/बैनामा/अन्य विवरण दें)

21. आवेदन यदि अन्य प्रयोजन के लिए है तो उसका विवरण दें

22. परियोजना की कुल लागत- आवेदक का भाग (राशि)

बैंक ऋण ..... अनुदान राशि .....

ऋण वितरण की किश्त ..... ऋण अदायगी अवधि .....

किश्त का प्रकार (मासिक/अर्द्धमासिक/वार्षिक) .....

जाँच अधिकारी की घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि जाँच प्रतिवेदन में वर्णित सभी विवरण तथा सूचनायें सही तथा पूर्ण है, सभी कॉलम भर दिया हूँ तथा आवेदक के साक्षात्कार व निवास स्थल, व्यापार स्थल के जाँच के पश्चात उपरोक्त में वर्णित ऋण परियोजना की अनुशंसा/स्वीकृति/देता हूँ। अग्रसारण करता हूँ।

हस्ताक्षर (जाँच अधिकारी)

नाम

पदनाम

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Credit Deptt. MUZAFFARPUR

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

शाखा ..... दिनांक :

पोस्ट डिसबर्समेन्ट रिपोर्ट

ऋणी का नाम ..... ऋण खाता संख्या -

पता .....

ऋण राशि ..... अनुदान ..... वितरण की तिथि .....

परिसम्पत्ति की वर्तमान स्थिति .....

दी गई परिसम्पति .....

ऋण का किश्त .....

अतिदेय राशि ..... मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक

योजना जिसके अन्तर्गत ऋण दी गयी है .....

ऋण खाता पी० ए०/एन० पी० ए० है।

एन० पी० ए० है तो किस तिथि को खाता एन० पी० ए० हुई।

पूर्व में क्या अनुवर्ती कार्यवाही हुई है ? विवरण दें .....

.....

नया कोई कार्यवाही वांछित हो गया हो तो लिखें -

.....

.....

ऋणी की घोषणा :-

आज दिनांक .....को शाखा के अधिकारी श्री .....

हमसे ..... बजे ..... संपर्क किए। मैं पुष्टि करता हूँ कि बैंक .....

से ..... का कर्ज मिला था, जिसमें से आज दिनांक ..... को .....रू०

बकाया है। मुझे अपना बकाया रकम वापस करने / किश्त का रकम .....

अद्यतन करने वास्ते ..... दिनों का समय दिया जाय।

(नाम .....)

जाँच अधिकारी का हस्ताक्षर

ऋणी का हस्ताक्षर

जाँच अधिकारी श्री ..... के ..... बजे के भ्रमण

की सम्पुष्टि की जाती है।

शाखा प्रबंधक

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK HEAD OFFICE Chandi Dhoti MUZAFFARPUR